-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बिसंडा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली चोरी करने वाले 02 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर-ट्राली, अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस आदि सहित नगद रुपए बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसंडा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली चोरी का खुलासा करते हुए 02 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को चोरी के ट्रैक्टर-ट्राली व अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 23.06.2026 को कस्बा बिसंडा से एक ट्रैक्टर व ट्राली व 03.07.2026 को बिसंडा पारा से एक ट्राली चोरी की घटना की सूचना थाना बिसंडा पर प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 04/05.07.2026 की रात्रि को गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना बिसंडा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पुल के नीचे से 02 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को चोरी के ट्रैक्टर व ट्राली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जयचन्द्र पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली तथा मोहम्मद नफीस पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी थाना गदागंज, जनपद रायबरेली के रूप में हुई है। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 22.06.2026 की रात्रि में कस्बा बिसण्डा स्थित एक ट्रेडर्स के गैराज से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी की थी। साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने 27/28.06.2026 की रात्रि में थाना बिसण्डा क्षेत्र के ग्राम पारा बिहारी से एक ट्रॉली चोरी कर उसे बेच दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रॉली बिक्री से प्राप्त 20 हजार रुपए नगद व एक अवैध तमंचा 315 बोर, दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

बरामदगी-

- 01 ट्रैक्टर (चोरी का)
- 01 ट्राली (चोरी की)
- 01 अवैध तमन्चा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 20 हजार रुपए नगद (चोरी की ट्रॉली की बिक्री से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जयचन्द्र पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी निवासी गड़रियन का पुरवा थाना डलमऊ जनपद रायबरेली।
2. मोहम्मद नफीस पुत्र मोहम्मद सफीक निवासी कोरौली थाना गदागंज जनपद रायबरेली।

फरार अभियुक्त-

1. रज्जन पुत्र रामबहादुर निवासी नेवाजगंज थाना डलमऊ जनपद रायबरेली।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 287/26 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना बिसंडा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 311/26 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना बिसंडा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 318/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष बिसंडा
2. उ0नि0 पवन कुमार पाण्डेय
3. उ0नि0 श्याम बहादुर सिंह
4. हे0कां0 महेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी
5. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह एसओजी
6. कां0 प्रतीक सिंह एसओजी
7. कां0 अमित त्रिपाठी एसओजी
8. कां0 ऋषभ कुमार एसओजी
9. कां0 अनूप कुमार